B.M.A college Bahori Darbhanga (L.N.M.U)

BA (Hons) part-1 पेपर-1

Date 5,10,20

Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक नई विधि भारत में अंग्रेजों ने निकाली थी जिसको साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अपने-अपने प्रतिनिधियों की संख्या व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचन कर देता है। मतदाताओं को भी धर्म के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है और मतदाता अपने-अपने धर्मावलंबी को ही अपना मत प्रदान करते हैं।

इस प्रकार धर्म और जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है।

दोष – इस प्रकार का प्रतिनिधित्व देश की एकता का विरोधी है और देश को संकुचित वर्गों में विभाजित करके राष्ट्रीय भावना को नष्ट करती है।

उक्त सभी प्रणालियाँ अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की खामियाँ हैं। किन्तु साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान्यता नहीं दी जा सकती।

निष्कर्ष → आधुनिक युग लोकतंत्र प्रणाली का है जिसमें अल्पसंख्यक जातियों को भी समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। जैसा कि लेकी द्वारा कहा गया है – अल्पसंख्यक को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ~~यदि~~

यदि किसी चुनाव क्षेत्र के दो तिहाई मतदाता एक दल को और एक तिहाई मतदाता दूसरे दल को मत देता तो बहुसंख्यक वर्ग को दो तिहाई और अल्पसंख्यक वर्ग को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।